अध्याय 7

राज्य सरकार

राज्य विधानमण्डल का गठन एवं कार्य

संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल की व्यवस्था की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों से तथा कुछ में एक सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में दो सदन होंगे, उनके नाम क्रमशः विधानसभा और विधानपरिषद् होंगे। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। विधानमण्डल के इस सदन को विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में विधानमण्डल का दूसरा सदन है, उसे 'विधानपरिषद्' कहते हैं। राज्यों के विधानमण्डल एकसदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को ही है। वर्तमान समय में भारतीय संघ के केवल 7 राज्यों– उत्तर–प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना–में द्विसदानात्मक व्यवस्थापिका व शेष राज्यों में एकसदनात्मक व्यवस्थापिका है।

द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले इन सात राज्यों में राज्य विधानमण्डल के निम्नांकित तीन अंग है :

1. राज्यपाल
2. विधानसभा (Lagislative Assembly) जिसे प्रथम या निम्न सदन कहते है।
3. विधानपरिषद (Lagislative Council) जिसे द्वितीय या उच्च सदन कहते है।

विधानसभा का गठन

विधानसभा विधानमण्डल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है।

1. सदस्य संख्या :

संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75 हजार जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे।

2. स्थान आरक्षण (Reservations) :

राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था (95वें संवैधानिक संशोधन, 2009) के अनुसार जनवरी 2020 ई. तक के लिए है।

राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि सम्बन्धित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल–भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है।

3. निर्वाचन पद्धति :

आंग्ल–भारतीय समुदाय के नामजद सदस्य को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुनाव होता है। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा 'साधारण बहुमत की पद्धति' अपनायी गयी है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल–सदस्यीय हैं।

4. सदस्यों की योग्यताएँ :

विधानसभा की सदस्यता के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए :

1. वह भारत का नागरिक हो,
2. उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो,
3. वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किये हुए न हो,
4. वह पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो,
5. वह संसद या राज्य के विधानमण्डल द्वारा निर्धारित शर्तो की पूर्ति करता हो।

सदस्यों की सदस्यता का अंत : विधानमण्डल के दोनों सदनों की सदस्यता का अंत निम्न में से किसी भी परिस्थिति में हो जाता है:

1. कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमण्डलों के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो उसे एक सदन से

त्यागपत्र देना होगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमण्डल और संसद, दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है।

2. कोई भी सदस्य यदि विधानमण्डल के संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है।

3. यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती है या उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है।

5. कार्यकाल :

राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। परन्तु यदि संकटकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा किसी भी अवस्था में संकटकाल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा।

6. पदाधिकारी : प्रत्येक राज्य की विधानसभा के दो मुख्य पदाधिकारी होते हैः (1) अध्यक्ष **(Speaker)** और, (2) उपाध्यक्ष **(Deputy Speaker)**। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है किन्तु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष (जिसके विरुद्ध प्रस्ताव हो) को देना आवश्यक है।

अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य (Powers and Functions of the Speaker) :

विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य निम्न हैं :

1. वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।

2. सदन में शांति और व्यवस्था बनाये रखना उसका मुख्य उत्तरदायित्व है तथा इस हेतु उसे समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार है।

3. सदन का कोई सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है।

4. वह सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट हैं।

5. सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित कर सकता है।

6. वह प्रश्नों को स्वीकार करता या नियम–विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है।

7. वह मतदान पश्चात् परिणाम की घोषणा करता है।

8. सामान्य परिस्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आयें, तो वह 'निर्णायक मत' (Casting Vote) का प्रयोग करता है।

9. कोई विधेयक 'धन–विधेयक' (Money Bill) है अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है।

10. दल–बदल सम्बन्धी याचिकाओं पर निर्णय देता है।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का सम्पादन उपाध्यक्ष करता है।

विधानपरिषद् का गठन

विधानसभा को विधान परिषद् की उत्पत्ति (सृजन) तथा समाप्ति (उन्मूलन) के लिए संसद से सिफारिशें करने का अधिकार है। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के दो–तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद् का सृजन अथवा समाप्ति के लिए कानून बनायेगी।

1. सदस्य संख्या :

राज्य के विधानमण्डल का द्वितीय या उच्च सदन विधानपरिषद् होता है। संविधान में व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक राज्य की विधानपरिषद् के संदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, पर साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जम्मू–कश्मीर को इस सम्बन्ध में अवश्य ही अपवाद रखा गया है।

2. सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन :

विधान परिषद् के लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है तथा शेष लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद् के ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होंगे। निम्नलिखित निर्वाचक मण्डल विधानपरिषद् के सदस्यों का चुनाव करते हैं।

स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मण्डल :

समस्त सदस्यों का यथाशक्य निकटतम एक–तिहाई उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला परिषदों और ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है, जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे।

विधानसभा का निर्वाचक मण्डल : कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक–तिहाई सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से करते है जो विधानसभा के सदस्य न हों।

स्नातकों (Graduates) का निर्वाचक मण्डल : यह ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचक मण्डल होता है जो उस राज्य में रहते हो, जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर ली हो और जिन्हें यह परीक्षा पास किये तीन वर्ष से अधिक हो चुके हों, यह निर्वाचक मण्डल कुछ सदस्यों के यथाशक्य निकटतम 1/12 भाग को चुनता है।

अध्यापकों का निर्वाचक मण्डल : इसमें वे अध्यापक होते हैं, जो राज्य के अन्तर्गत किसी माध्यमिक विद्यालय या इससे उच्च शिक्षण संस्था में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। यह निर्वाचक मण्डल कुल सदस्यों का यथाशक्य निकटतम 1/12 भाग को चुनता है।

(v) राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य : उपर्युक्त प्रकार के कुल सदस्य संख्या के लगभग 5/6 सदस्यों को तो निर्वाचित किया जाता है, शेष अर्थात् कुल संख्या के लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किये जाते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हों।

3. सदस्यों की योग्यताएँ :

विधानपरिषद् की सदस्यता के लिए वे ही योग्यताएँ हैं जो विधानसभा की सदस्यता के लिए है, अन्तर केवल यह है कि विधानपरिषद् की सदस्यता के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए।

निर्वाचक मण्डलों द्वारा विधानपरिषदों के सदस्यों का यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। विधानसभा के निर्वाचक मण्डल के अतिरिक्त अन्य तीनों निर्वाचक मण्डल संसद कानून द्वारा निश्चित करती है।

4. कार्यकाल :

विधानपरिषद् इस दृष्टि से स्थायी है कि पूरी विधानपरिषद् कभी भी भंग नहीं होती और उसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता। विधानपरिषद् के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति दो वर्ष के पश्चात् एक–तिहाई सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं, और उनके स्थान के लिए नये निर्वाचन होते हैं।

5. पदाधिकारी :

विधानपरिषद् अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। विधानपरिषद् को इन्हें पद से हटाने का भी अधिकार है।

विधानपरिषद् के अधिकार अथवा शक्तियाँ तथा कार्य

विधानपरिषद् के अधिकार तथा कार्यों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है।

1. कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य :

धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं तथा ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात् विधानपरिषद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद् विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते या परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से तीन माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधानपरिषद् को भेजती है। यदि परिषद् विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से एक माह बाद तक विधेयक पास नहीं करती या परिषद् विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते तो विधेयक विधानपरिषद् द्वारा पारित किये जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस प्रकार विधानपरिषद् किसी साधारण विधेयक को केवल चार माह तक रोक सकती है। विधानपरिषद् किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती।

2. कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य :

विधानपरिषद् के सदस्य मंत्रिपरिषद् के सदस्य हो सकते हैं। विधानपरिषद् प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद–विवाद के आधार पर मंत्रिपरिषद् को नियंत्रित कर सकती है, किन्तु उसे मंत्रिपरिषद् को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य केवल विधानसभा के ही द्वारा किया जा सकता है।

3. वित्त सम्बन्धी कार्य :

संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं, विधानपरिषद् में नहीं। विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधानपरिषद् के पास भेजती है तो विधानपरिषद् 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि वह 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक विधानसभा को नहीं लौटाती है, तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों से पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था।

राज्य विधानमण्डल या राज्य विधानसभा की शक्तियाँ और कार्य

राज्य विधानमण्डल राज्य की व्यवस्थापिका है और संविधान के द्वारा राज्य विधानमण्डल को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी है। राज्य विधानमण्डल की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है :

1. विधायी शक्ति :

राज्य के विधानमण्डल को सामान्यतया उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची में और समवर्ती सूची में दिये गये हैं।

साधारण विधेयक राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं किन्तु इसके सम्बन्ध में अन्तिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है।

2. वित्तीय शक्ति :

विधानमण्डल, मुख्यतया विधानसभा को, राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। आय–व्यय का वार्षिक लेखा (बजट) विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय–व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। विधानमण्डल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है।

3. प्रशासनिक शक्ति :

संविधान द्वारा राज्यों के क्षेत्र में भी संसदात्मक व्यवस्था स्थापित किये जाने के कारण राज्य मंत्रिमण्डल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमण्डल, विशेषतया विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा या विधानपरिषद् के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जा सकते है। मंत्रिमण्डल के विरुद्ध निन्दा या आलोचना का प्रस्ताव पास किया जा सकता है या काम रोको प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इन सबके अतिरिक्त, विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है, जिसके कारण मंत्रिमण्डल को पद त्याग करना होता है।

4. संविधान में संशोधन की शक्ति :

हमारे संविधान की कुछ धाराएँ ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा स्वीकार किया जाये। राज्य विधानमण्डलों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। राज्य विधानमण्डल तो केवल अनुसमर्थन या अस्वीकृत कर सकते है।

5. निर्वाचन सम्बन्धी शक्ति :

राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं।

राजस्थान विधानपरिषद् के गठन की प्रक्रिया व वर्तमान स्थिति

राजस्थान में वर्तमान में राज्य विधानमण्डल का प्रथम सदन ही है, जिसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। विधानपरिषद् के गठन संबंधी प्रस्ताव विधानसभा ने पास कर केन्द्र सरकार की अनुमति एवं अनुमोदन हेतु भेजा है। वर्तमान में गठन संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास है। अतः राजस्थान में विधान मण्डल का द्वितीय सदन नहीं है। केन्द्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात् गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी।

राज्य कार्यपालिका

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमण्डल – कार्य एवं शक्तियाँ

राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद् होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गयी है और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद् राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है।

राज्य का वैधानिक प्रधान : राज्यपाल

राज्यपाल की नियुक्ति : राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद–पर्यंत अपना पद धारण किया जाता है। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को उसकी कार्य अवधि 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण किया जा सकता है। राज्यपाल यदि चाहे तो समय से पूर्व भी स्वयं अपना पद त्याग कर सकता है।

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परम्पराएं :

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान लागू होने के बाद से अब तक कुछ स्वस्य परम्पराएं विकसित हुई हैं : (i) राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। (ii) राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे तथा उससे सहमति प्राप्त करे।

पद की योग्यताएँ व वेतन :

राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए दो योग्यताएं होनी आवश्यक है। प्रथम, वह भारत का नागरिक हो और द्वितीय, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, राज्यपाल संसद अथवा राज्य के विधानमण्डल का सदस्य नहीं हो सकता है और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से

उसे अपनी सदस्यता का त्याग करना होगा। राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता।

वेतन व भत्ते :

वर्तमान में राज्यपाल को 1 लाख 10 हजार रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसे निःशुल्क निवास स्थान, भत्ते एवं अन्य सब सुविधाएं प्राप्त होंगी जिन्हें संसद कानून के द्वारा निर्धारित करे।

राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य

संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त और व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी है। राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केन्द्र में राष्ट्रपति की है। अतः दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत कुछ समानता है। दुर्गादास बसु के शब्दों में, ''थोड़े में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर।'' राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन अग्रलिखित रूपों में किया जा सकता है :

1. कार्यपालिका शक्तियाँ :

राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है, जिनका प्रयोग वह स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की। वह अधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य सूची में उल्लेखित विषयों तक विस्तृत है। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। राज्य सरकार के कार्य के सम्बन्ध में वह नियमों का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है। उसे मुख्यमंत्री से शासन से सम्बन्धित सभी विषयों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कह सकता है।

राज्यपाल मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। उनके त्याग–पत्र स्वीकार करता है एवं उन्हें मुख्यमंत्री सहित पद विमुक्त भी करता है।

2. विधायी शक्तियाँ :

राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है और विधायी क्षेत्र में उसे महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को भंग कर सकता है। आम चुनाव के बाद वह विधानमण्डल की पहली बैठक को सम्बोधित करता है और उसके बाद भी वह विधानमण्डल को संदेश भेज सकता है।

राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमण्डल को लौटा सकता है। यदि विधानमण्डल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है, तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी। कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित रख सकता है।

यदि राज्य के विधानमण्डल का अधिवेशन न हो रहा हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त होगी। यह अध्यादेश विधानमण्डल की बैठक आरम्भ होने के 6 सप्ताह के बाद तक लागू रहता है। यदि 6 सप्ताह पूर्व ही विधानमण्डल इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे, तो उस अध्यादेश को उसी समय समाप्त समझा जायेगा। कुछ विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। राज्यपाल विधानपरिषद् के 1/6 सदस्यों को ऐसे लोगों में से नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आन्दोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो। यदि वह ऐसा समझे कि विधानसभा में आंग्ल–भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वह इस वर्ग के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है।

3. वित्तीय शक्तियाँ :

राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है और उसकी अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की माँग नहीं की जा सकती है। राज्यपाल विधानमण्डल से पूरक, अतिरिक्त तथा अधिक अनुदानों की भी माँग कर सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती हैं।

4. न्यायिक शक्तियाँ :

संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दण्ड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है।

वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और

राज्य की आय–व्यय के सम्बन्ध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमण्डल के समक्ष रखता है।

अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तन्त्र की विफलता के सम्बन्ध में सूचना देता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा की जा सकती है।

राज्यपाल राज्य में कुलाधिपति होने के नाते केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें हटा भी सकता है।

5. विविध शक्तियाँ :

उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है :

राज्यपाल की स्थिति :

संविधान के अनुच्छेद 163 (1) के अनुसार, ''जिन बातों के सम्बन्ध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वाह करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।'' वर्तमान समय में जम्मू–कश्मीर, नागालैण्ड, सिक्किम, और अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल को ही इस प्रकार की विवेकात्मक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

यद्यपि संविधान के द्वारा राज्यपाल को स्वविवेकी शक्तियाँ प्रदान नहीं की गयी हैं और संसदात्मक शासन की परम्परा के अनुसार उससे यह आशा की जाती है कि वह संवैधानिक प्रधान के रूप में ही कार्य करेगा, फिर भी कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जब वह अपने विवेक का प्रयोग कर सके। ऐसे अवसर निम्नलिखित हो सकते है : (1) विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन, (2) मंत्रिपरिषद् को अपदस्थ करना, (3) विधानसभा का अधिवेशन बुलाना या सत्रावसान करना, (4) विधानसभा का विघटन, (5) मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, (6) राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजना, (7) राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना, (8) विधानमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना, (9) किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना।

इन सब बातों से यह नितान्त स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही ''वह केवल नाममात्र का अध्यक्ष नहीं है, वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्त्वपूर्ण रूप में भाग ले सकता है।''

वास्तविक कार्यपालिका : मंत्रिपरिषद्

संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गयी है और संसदात्मक शासन में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित होती है, जो कि राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

राज्य की मंत्रिपरिषद् का गठन

1. मुख्यमंत्री की नियुक्ति :

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य की मन्त्रिपरिषद् के गठन का प्रथम चरण है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इस सम्बन्ध में निश्चित परम्परा यह है कि राज्य की विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति करता है।

2. मंत्रियों का चयन :

अन्य मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री ही करता है और वह मंत्रियों के नामों तथा उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। मंत्रिपरिषद् का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है। मन्त्रिपरिषद् में कितने सदस्य हो इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री करता है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद् के आकार को विधानसभा सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री व्यावहारिक दृष्टि से निम्न बातों को ध्यान में रखता है :

(i) राज्य के सभी क्षेत्रों, वर्गों को मंत्रिपरिषद् में न्यायसंगत ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

(ii) सामान्यतया मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से मंत्रिपरिषद् का निर्माण किया जाता है जिससे मंत्रिपरिषद् एक इकाई के रूप में कार्य कर सके।

3. मंत्रियों की योग्यताएँ :

मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमण्डल के किसी सदन के सदस्य हों। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमण्डल का सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 माह के भीतर विधानमण्डल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसा करने में असफल रहने पर मंत्रिमण्डल छोड़ना होता है।

4. मंत्रियों का कार्य–विभाजन :

राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों में कार्य–विभाजन करता है। मंत्री के अधिकार के अन्तर्गत प्रायः एक

ही प्रमुख विभाग होता है, किन्तु कभी–कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं।

5. मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण :

पद ग्रहण के पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष दो शपथ लेनी होती है : पहली, पद के कर्त्तव्य–पालन की तथा दूसरी, गोपनीयता की।

6. मंत्रियों की श्रेणियाँ :

राज्यों की मंत्रिपरिषद् में भी मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ होती है : (1) कैबीनेट मंत्री या मंत्रिमण्डल के सदस्य, (2) राज्यमंत्री और (3) उपमंत्री। कैबीनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं और कैबीनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर राज्यमंत्री होते हैं। कुछ राज्यमंत्रियों को किसी विभाग का स्वतन्त्र प्रभार भी दिया जा सकता है और कुछ राज्यमंत्री कैबीनेट मंत्री के कार्य में हाथ बँटाते हैं। राज्यमंत्री के बाद उपमंत्री आते हैं जो कैबीनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं।

7. मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल :

मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद् का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष ही हो सकता है क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही है।

8. सामूहिक उत्तरदायित्व :

मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गये विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद् को त्याग–पत्र देना होता है।

9. वेतन व भत्ते :

संविधान के अनुच्छेद 164 (5) के अनुसार मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमण्डल को है।

मंत्रिपरिषद् की कार्य–प्रणाली :

मंत्रिपरिषद् की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण इकाई मंत्रिमण्डल है और मंत्रिमण्डल ही सभी महत्त्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता है। मंत्रिमण्डल की बैठकें प्रायः सप्ताह में एक बार होती हैं, वैसे मुख्यमंत्री जब चाहे तब इसकी बैठक बुला सकता है। इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम मंत्री करता है । बैठक का कोई 'कोरम' (गणपूर्ति) नहीं होता है।

मंत्रिमण्डल की कार्यवाही के दो प्रमुख नियम हैं : सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता। मंत्रिमण्डल की बैठकों में सामान्यतया सभी निर्णय एकमत से लिये जाते हैं। मतभेद की स्थिति में पारस्परिक विचार–विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है।

मंत्रिपरिषद् के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है और मंत्रिमण्डल की कार्यवाही तथा निर्णय गुप्त रखे जाते हैं।

मंत्रिपरिषद् की शक्तियाँ और कार्य

यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद् का कार्य राज्यपाल को 'सहायता और परामर्श देना' ही बतलाया गया है, किन्तु वास्तविक स्थिति नितान्त विपरीत ही है। संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य शासन के सम्बन्ध में जो शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, व्यवहार में उन सबका उपयोग मंत्रिपरिषद् के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद् शासन सम्बन्धी सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है।

1. शासन की नीति निर्धारित करना :

मंत्रिपरिषद् का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य शासन की नीति निर्धारित करना है। चाहे गृह विभाग हो या शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा कृषि, शासन की नीति का निर्धारण मंत्रिपरिषद् के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद् न केवल नीति निर्धारित करती है वरन् उसे कार्य रूप में परिणित करती है।

2. उच्च पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल को परामर्श :

संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। व्यवहार के अन्तर्गत राज्यपाल के द्वारा ये सभी नियुक्तियाँ मंत्रिपरिषद् के परामर्श के आधार पर ही की जाती है।

3. विधानमण्डल में शासन का प्रतिनिधित्व :

मंत्रिगण विधानसभा और विधानपरिषद् में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर देते हैं और शासन की नीति का समर्थन करते हैं।

4. कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना :

मंत्रिपरिषद् न केवल शासन वरन् कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विधानमण्डल में कौन–कौन से विधेयक तथा किस क्रम में प्रस्तुत किये जायेंगे, इसका निर्णय मंत्रिपरिषद् को ही करना होता है।

5. बजट तैयार करवाना :

राज्य का वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह बजट

मंत्रिपरिषद् द्वारा निश्चित की गयी नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। बजट को पारित कराने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद् का ही होता है।

मुख्यमंत्री

राज्य की मंत्रिपरिषद् के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। अतः राज्य के प्रशासनिक ढाँचे में उसे लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो केन्द्र में प्रधानमंत्री की है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति :

संविधान के अनुच्छेद 164 में केवल यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। व्यवहार के अन्तर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है।

मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य

मंत्रिपरिषद् राज्य प्रशासन की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण इकाई है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् का प्रधान है। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ तथा उसके कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है :

1. मंत्रिपरिषद् का निर्माण :

मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्रिपरिषद् का निर्माण करना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को देता है जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है।

2. मंत्रियों में कार्य का बँटवारा और परिवर्तन :

मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् के अपने सहयोगियों के बीच विभागों का बँटवारा करता है। एक बार मंत्रिपरिषद् के निर्माण व उसके सदस्यों में विभागों का बँटवारा कर चुकने के बाद भी वह जब चाहे तब मंत्रियों के विभागों तथा उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है।

3. मंत्रिमण्डल का कार्य–संचालन :

मुख्यमंत्री ही मंत्रिमण्डल की बैठकें बुलाता है तथा उनकी अध्यक्षता करता है। बैठक के लिए 'एजेण्डा' या कार्यसूची मुख्यमंत्री के द्वारा ही तैयार की जाती है। मंत्रिमण्डल की समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही सम्पादित होती है।

4. शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय :

मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभाग, दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद् एक इकाई के रूप में कार्य करे। यदि मंत्रिपरिषद् के दो या अधिक सदस्यों में किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जायें, तो उनके द्वारा इन मतभेदों को दूर कर सामंजस्य स्थापित किया जाता है।

5. मंत्रिपरिषद् और राज्यपाल के बीच सम्बन्ध स्थापितकर्ता : संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पर यह भार है कि मंत्रिपरिषद् और राज्यपाल के बीच सम्पर्क स्थापित करे। वह मंत्रिमण्डल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमण्डल तक पहुँचाता है।

6. विधानसभा का नेता :

एक ओर मुख्यमंत्री शासन का प्रधान है तो दूसरी ओर विधानसभा का नेता भी है। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य उसकी इच्छानुसार ही सम्पन्न होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है।

उच्च न्यायालय –

उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की योग्यता, नियुक्तियाँ एवं शक्तियाँ :–

भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसके सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के पश्चात् न्यायपालिका में उच्च न्यायालय का स्थान आता है। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद–214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। दो या अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय हो सकता है।

भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास में स्थापित किए गए। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं।

उच्च न्यायालय का गठन–

अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति समय–समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। इस प्रकार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेगा।

न्यायाधीशों की नियुक्ति–

अनुच्छेद 217(1) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम व राज्यपाल के परामर्श से करता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

और राज्यपाल के परामर्श से करता है।

न्यायाधीश की योग्यताएँ –

अनुच्छेद 217 (2) के अनुसार न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए–

1. भारत का नागरिक हो;
2. भारत के राज्यक्षेत्र में कम–से–कम 10 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका हो;
3. उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम–से–कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

कार्यकाल – अनुच्छेद 217 (1) के अन्तर्गत न्यायाधीश के कार्यकाल संबंधी प्रावधान है–

1. वह 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा।
2. न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित करके अपना त्याग–पत्र दे सकता है।
3. न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है।

न्यायाधीश द्वारा शपथ– अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा।,

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। (अनुच्छेद 222)

न्यायाधीशों के वेतन– अनुच्छेद 221 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रूपये व अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रूपये मासिक वेतन मिलता है।

उच्च न्यायालय की स्वतन्त्रता– उच्च न्यायालय की स्वतन्त्रता के लिए निम्न व्यवस्थाएँ की गई हैं–

1. नियुक्त के लिए विशेष प्रक्रिया,
2. निश्चित कार्यकाल,
3. संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं,
4. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद उन न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा, जहाँ वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका है,
5. कार्यपालिका से पृथक्करण।

उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र एवं शक्तियाँ – उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र एवं शक्तियों का वर्णन इस प्रकार है–

1. मूल / प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार
2. रिट अधिकारिता
3. अपीलीय क्षेत्राधिकार
4. अभिलेख न्यायालय
5. प्रशासन सम्बन्धी शक्तियाँ
6. न्यायिक पुनरावलोकन।

1. मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) –

इसका तात्पर्य है प्रथमतः उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई करना। ये क्षेत्र हैं–

संसद एवं राज्य विधानमण्डल सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी विवाद,

राजस्व एकत्रीकरण सम्बन्धी विवाद,

मौलिक अधिकार (Admiralty) व वसीयत (Probate), विवाह विधि, कम्पनी कानून तथा विवाह–विच्छेद आदि के मुकदमें।

2. याचिका (Writ) अधिकारिता –

अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा याचिका जारी कर सकता है। जहाँ सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद–32 के अन्तर्गत केवल मौलिक अधिकारों के लिए याचिका जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ–साथ अन्य मामलों (अधिकारों) के लिए याचिका जारी कर सकता है।

3. अपीलीय क्षेत्राधिकार –

उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न भागों में बाँटा जा सकता है–

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार – आयकर, पेटेण्ट, डिजाइन, उत्तराधिकार आदि मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार – जब अपराधी को सैशन न्यायालय ने चार वर्ष के लिए कारावास दण्ड दिया है या मृत्युदण्ड दिया है तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है।

संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार – कोई भी ऐसा मुकदमा, जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

4. अभिलेख न्यायालय–

अनुच्छेद 215 के अन्तर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अवमानना के लिए दण्ड देने की शक्ति है।

उच्च न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जायेंगे और वह अधीनस्थ न्यायालय के लिए कानून की तरह कार्य करेंगे।

5. प्रशासन सम्बन्धी अधिकार–

उच्च न्यायालय के प्रशासन सम्बन्धी अधिकार इस प्रकार है–

उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी न्यायालय के पत्रों/निर्णय को मँगवा सकता है और उनकी जाँच–पड़ताल करवा सकता है।

उच्च न्यायालय का कर्त्तव्य है कि वह ध्यान रखे कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा तथा अपने कर्त्तव्यों का निश्चित विधि के अनुसार ही पालन कर रहा है। वह किसी भी वाद को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार तथा निर्णय के लिए भेज सकता है।

6. न्यायिक पुनरावलोकन –

उच्च न्यायालय केन्द्र व राज्य विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकता है।

राज्य में विधानमण्डल, कार्यपालिका व राज्य न्यायपालिका को राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- विधानसभा का गठन – **(1)** सदस्य संख्या, **(2)** स्थान आरक्षण, **(3)** निर्वाचन पद्धति **(4)** सदस्यों की योग्यताएं, **(5)** कार्यकाल, **(6)** पदाधिकारी–अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, **(7)** अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य।
- विधानपरिषद् का गठन :– **(1)** सदस्य संख्या, **(2)** सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन, **(3)** सदस्यों की योग्यताएं, **(4)** कार्यकाल– स्थायी सदन, **(5)** पदाधिकारी–सभापति तथा उपसभापति।
- विधानपरिषद् के अधिकार तथा कार्य : **(1)** कानून निर्माण सम्बन्धी, **(2)** कार्यपालिका सम्बन्धी, **(3)** धन सम्बन्धी।
- विधानमण्डल या विधानसभा की शक्तियां एवं कार्य : **(1)** विधायी कार्य, **(2)** वित्तीय शक्ति, **(3)** प्रशासनिक शक्ति, **(4)** संविधान के संशोधन की शक्ति, **(5)** निर्वाचन सम्बन्धी शक्ति।
- राज्य कार्यपालिका : राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्
- राज्यपाल : राज्य का वैधानिक प्रधान। नियुक्ति : राष्ट्रपति द्वारा। पद की योग्यताएं व वेतन।
- राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य : **(1)** कार्यपालिका शक्तियां, **(2)** विधायी शक्तियाँ, **(3)** विविध शक्तियाँ।
- मंत्रिपरिषद् का गठन : **(1)** मुख्यमंत्री की नियुक्ति, **(2)** मंत्रियों का चयन, **(3)** मंत्रियों की योग्यताएं **(4)** मंत्रियों का कार्य–विभाजन, **(5)** मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, **(6)** मंत्रियों की श्रेणियाँ, **(7)** मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल, **(8)** सामूहिक उत्तरदायित्व, **(9)** वेतन, भत्ते।
- मंत्रिपरिषद् की शक्तियाँ और कार्य : **(1)** शासन की नीति निर्धारित करना, **(2)** उच्च पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल को परामर्श, **(3)** विधानमण्डल में शासन का प्रतिनिधित्व, **(4)** कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। **(5)** बजट तैयार करवाना।
- मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य : **(1)** मंत्रिपरिषद् का निर्माण, **(2)** मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन, **(3)** मंत्रिमण्डल का कार्य–संचालन, **(4)** शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, **(5)** मंत्रिपरिषद् और राज्यपाल के बीच सम्बन्ध स्थापितकर्ता।
- उच्च न्यायपालिका– न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।
- न्यायाधीशों की योग्यताएं– भारत का नागरिक, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण तथा कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता।
- कार्यकाल– 62 वर्ष की आयु
- शपथ– राज्यपाल द्वारा।
- उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता हेतु व्यवस्थाऐं।
- कार्य एवं शक्तियां– 1. मूल/प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 2. याचिका अधिकारिता 3. अपीलीय क्षेत्राधिकार 4. अभिलेख न्यायालय 5. प्रशासन सम्बंधी 6. न्यायिक पुनरालोकन।

अभ्यास प्रश्न

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कब तक स्थिर रहेगी?
2. भारतीय संघ के किन राज्यों में दो सदनों वाला विधानमण्डल है?
3. विधानपरिषद् के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है?
4. राज्य की विधानसभा तथा विधानपरिषद् के मुख्य पदाधिकारियों के पदनाम बतलाइए।
5. राज्य की मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार राज्य विधानमण्डल के किस सदन को नहीं है?
6. अध्यापकों का निर्वाचक मण्डल विधानपरिषद् में कितने सदस्यों का निर्वाचन करते हैं?
7. राज्यपाल किसकी इच्छापर्यन्त अपने पद पर बना रहता है?

8. संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है?

9. राज्य के विधानमण्डल के सत्रावसान में राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है, उसे क्या कहते हैं?

10. पद ग्रहण के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष किस आशय की शपथ लेनी होती है?

11. उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत किया गया है?

12. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. किन्हीं तीन ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिससे किसी विधानसभा के सदस्य की सदस्यता का अन्त हो जाता है।

2. विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों को संक्षेप में समझाइए।

3. मान लीजिए आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं और आपको सदन के सदस्यगण हटाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें जिस विधि का अनुसरण करना होगा, उसे संक्षेप में समझाइए।

4. यदि राजस्थान में विधानपरिषद् की स्थापना करनी हो, तो क्या विधि अपनानी होगी?

5. राज्यपाल पद के उम्मीदवार में कौन–सी योग्यताएं आवश्यक हैं?

6. राज्यपाल की स्व–विवेकीय शक्तियां बतलाइए।

7. राज्य मंत्रिपरिषद् का गठन किस प्रकार होता है?

8. राज्य मंत्रिपरिषद् की कार्यप्रणाली को संक्षेप में समझाइए।

9. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु कोई दो योग्यताएं बताइये।

निबन्धात्मक प्रश्न–

1. विधानसभा के गठन, अधिकारों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए।

2. विधानपरिषद् के गठन, अधिकारों तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए।

3. राज्य विधानमण्डल में साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया बतलाइए।

4. राज्यपाल की नियुक्ति एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए।

5. राज्य मंत्रिपरिषद् के गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए।

6. राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका की विवेचना कीजिए।

7. उच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए।